



## उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-50/2010-11

राज कुमार शर्मा

बनाम्

महेश प्रसाद सिंह

-: आदेश :-

दिनांक

24/03/11

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता राज कुमार शर्मा पे0-सुन्दर ताँती सा. दरियापुर थाना बलबड्डा, अंचल-मेहरमा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0-189/06-07 के आदेश दिनांक-07.06.2010 के विरुद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आदेश दिनांक-07.06.2010 के द्वारा अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज किया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्ता ने निम्न न्यायालय में आवेदन दिया था कि मौजा दरियापुर जमाबंदी संख्या-13 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में नफरु जोलहा के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत नफरु जोलहा अपीलकर्ता के दादा थे। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0-77 रकवा 00-00-19 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बांसकोठी कहकर दर्ज है। उसी के बगल में दाग नं0 78 रकवा 00-02-08 धुर जमीन अवस्थित है जो गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के दखल कॉलम में मकान मय सहन कहकर दर्ज है। दाग नं0-78 की जमीन रकवा 45 कड़ी लम्बा X 18 कड़ी चौड़ा जमीन को उत्तरवादी ने अपने मकान में मिला लिया है तथा दाग नं0-77 के सम्पूर्ण जमीन को अतिक्रमण कर लिया है। निम्न न्यायालय में उत्तरवादी के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया और उसमें कहा गया कि दाग नं0-77 रकवा 00-00-19 धुर जमीन एवं दाग नं0-79 रकवा 00-00-10 धुर जमीन करीब 60-65 वर्ष पूर्व अदला-बदली किया था एवं उसी कारण पृच्छा में उत्तरवादी के द्वारा यह भी कहा गया कि दाग नं0-77 रकवा 00-00-19 धुर जमीन उत्तरवादी के पत्नि पूनम रानी सिंह के नाम से अंचल अधिकारी, मेहरमा के वासगीत पर्चा केश नं0 84/2005 के द्वारा वासगीत पर्चा प्रदान किया गया है। उत्तरवादी के द्वारा दिये गये कारण पृच्छा एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा के प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरवादी को अपीलकर्ता के उपरोक्त वर्णित जमीन से उच्छेद नहीं किया गया था। जबकि उत्तरवादी ने अपने कारण पृच्छा में यह कहा गया था कि उत्तरवादी ने जमीन बदलानामा के आधार पर लिया था। लेकिन उत्तरवादी के द्वारा संधाल परगना काश्तकारी (पूरक)

31

अधिनियम 1949 की धारा 23 के तहत किये बदलानामा से संबंधित कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया था। उनका आगे कथन है कि वादगत जमीन रैयती है और रैयती जमीन का किसी भी तरह से हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्ता की ओर से अपील के कालावधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन को अंगीकार करते हुए उत्तरवादी को अपने पक्ष रखने हेतु नोटिश दिया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्ता ने निम्न न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपीलवाद दायर किया गया है। लेकिन अपीलकर्ता के द्वारा दायर किया गया वर्तमान अपीलवाद चलने योग्य नहीं है। क्योंकि निम्न न्यायालय के द्वारा दिनांक-16.01.2010 को आदेश पारित किया था और अपील आवेदन दिनांक 17.06.2010 को दायर किया गया है। संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 66 के तहत काल बाधित है। संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 66 के तहत 60 दिनों के भीतर अपील वाद करना आवश्यक है। जबकि अपीलवाद 5 माह के बाद दायर किया गया है। उत्तरवादी के द्वारा बी०एल०जे० 1985 के पेज संख्या 245 से 746(बी) में दर्ज नियमन का उल्लेख करते हैं, यह कहा गया कि अपीलकर्ता का अपील आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। उनका आगे कथन है कि अपील वादगत जमीन पर उत्तरवादी का मकान अवस्थित है और संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत मकान की जमीन से उच्छेद नहीं किया जा सकता है। उनका आगे कथन है कि उभय पक्ष का मकान एक दूसरे से सटा हुआ है और उभय पक्ष के पूर्वज ने अपने सुविधानुसार वर्ष 1935 ई० में जमीन का अदला-बदली किया गया था और एक दूसरे के अदला-बदली जमीन पर उभय पक्ष का मकान अवस्थित है एवं उसपर उभय पक्ष दखलकार है। दाग नं०-77 की जमीन का उत्तरवादी के पत्नि के नाम से वासगीत पर्चा निर्गत है। वासगीत पर्चा निर्गत के समय कार्यालय द्वारा सोलह आना रैयतों को दिये गये थे। नोटिश में अपीलकर्ता का भी हस्ताक्षर है। लेकिन अपीलकर्ता के द्वारा वासगीत पर्चा केश नं० 84/2005 में दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्ता के पिता अभी जीवित है। लेकिन अपीलकर्ता के पिता के द्वारा अपील वाद दायर नहीं किया है। इस प्रकार अपीलकर्ता के अपील आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी महागामा के पत्रांक-117/रा0 दिनांक-07.02.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा दरियापुर जामबंदी सं0-13 जमाबंदी रैयत नफरु जोलहा के नाम से दर्ज है। दाग नंबर-77 रकवा 00-00-19 धुर बाँस कोठी 1/1 दखल नीज रैयत तथा दाग नं0-78 रकवा 00-02-08 धुर मकान मय सहन अंकित है। पंजी 02-जमाबंदी संख्या-13/1 पूनम रानी सिंह पति महेश प्रसाद सिंह रकवा 00-00-19 धुर अंचल अधिकारी मेहरमा के मु0 केश नं0 84/2005 दिनांक-16.11.2005 अंकित है। विषयगत जमीन का बिहार प्रश्रय प्राप्त अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल खारिज किया गया है। उनका आगे प्रतिवेदन है कि जाँच के क्रम में पता चला कि दाग नं0-78 की जमीन उत्तरवादी के द्वारा 5 धुर जमीन अपने जमीन में मिला लिया है। इस संबंध में किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उनका आगे प्रतिवेदन है कि ग्रामिणों के द्वारा बताया गया कि दाग नं0-79 की जमीन उत्तरवादी महेश प्रसाद सिंह का है। दाग नंबर 79 एवं दाग नंबर 78 रकवा 00-00-05 धुर जमीन आपस में अदला-बदली किया गया है। अपीलकर्ता एवं उत्तरवादी के द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

विज्ञ सरकारी वकील का मतव्य है कि दाग नं0-78 की जमीन उत्तरवादी द्वारा रकवा 00-00-05 धुर जमीन अपने जमीन में मिला लिया है। जिसमें मकान कुँआ एवं दिवाल से घिरा हुआ है, जिसपर उत्तरवादी का दखल कब्जा है। खाता नं0-13 दाग नं0-78 अपीलकर्ता के दादा नफरु जोलहा के नाम से दर्ज है एवं खाता नं0-5 के दाग नं0-79 की जमीन उत्तरवादी के पूर्वज के नाम से दर्ज है। दोनों जमीन आपस में सटा हुआ है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, अंचल अधिकारी, मेहरमा के जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-दरियापुर जमाबंदी सं0-13 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में नफरु जोलहा के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी सं0-13 के अन्तर्गत दाग नं0-77 रकवा 00-00-19 धुर जमीन बाँसकोठी एवं दाग नं0-78 रकवा 00-02-08 धुर जमीन मकान मय सहन कहकर दर्ज है। दोनों दाग नं0 की जमीन में से दाग नं0-77 को जमीन बाँसकोठी की जमीन है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन जमाबंदी की कृषि योग्य रैयती जमीन है और रैयती जमीन का किसी भी तरह से हस्तान्तरण मान्य नहीं हो सकता है। इस तरह का हस्तान्तरण संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के विपरीत है। अंचल अधिकारी, मेहरमा के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि दाग नं0-78 रकवा 00-00-05 धुर जमीन का अदला-बदला के संबंध में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।



अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड़डा के आर०ई०आर० केश नं०-189/2006-07 दिनांक-16.01.2010 के आदेश को निरस्त किया जाता है एवं संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा-दरियापुर जमाबंदी सं०-13 दाग नं०-77 रकवा 00-00-19 धुर एवं दाग नं०-78 रकवा 00-00-05 धुर जमीन से उत्तरवादी महेश प्रसाद सिंह को उच्छेद किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, मेहरमा को आदेश दिया जाता है कि दो माह के अंदर भूमि पर दखल दिलाकर न्यायालय को अनुपालन से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

  
उपायुक्त,  
गोड़डा।

  
उपायुक्त,  
गोड़डा।

27.03.2010

27.03.2010

  
27.03.2010

  
27.03.2010